जिला विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39–A मुफ्त विधिक सहायता प्रदान हेतु सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या समाज के हासिये पर रहने वाले किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाय। अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। विधिक सहायता का उद्देश्य संवैधानिक प्रतिज्ञा के अनुसार सभी को न्याय प्रदान करने के साथ–साथ समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को भी समान न्याय उपलब्ध कराना है। इसके लिए मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान बनाया गया है। जो निम्नलिखित हो सकते हैं।

* किसी भी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या खर्च किये गये न्यायालय शुल्क, प्रकिया शुल्क और अन्य सभी शुल्कों का भूगतान :
* विधिक कार्यवाही में अधिवक्ता प्रदान करना :
* विधिक कार्यवाही में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
* किसी विधिक मामले में सलाह देना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्ग मुफ्त विधिक सेवाओं के हकदार हैं, जिसमें शामिल हैं :

* महिलाएँ और बच्चे
* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संदस्य
* हिरासत मे व्यक्ति
* औद्योगिक कामगार
* मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 उल्लिखित बेगार (भिखारी)
* सामूहिक आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदाओं के शिकार।
* मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति

एक व्यक्ति जिसे मुफ्त विधिक सेवाओं की आवश्यकता है, वह संबंधित राज्य/जिला/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति या डाकघर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र भरकर विधिक सेवा प्राप्त की जा सकती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज का दूरभाष संख्या - 06456-223299 एवं Email ID- dlsakishanganj@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

सौजन्य – जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज